न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 93/2019 तारीख रजू :–03.07.2019

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

शरीफ खॉन बनाम रशीद

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा में

प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय दिंनाक :– 18.02..2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने दिनांक 07.11.2019 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उक्त दावा हाजा में वादी ने पैत्रिक पुश्तैनी भूमि मानकर गलत आधारहीन तथ्यों का उक्त दावा न्यायालय हाजा में पेश किया है, जो प्रारम्भिक स्तर पर ही काबिले खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वादी ने उक्त विवादित भूमि को संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी पैत्रिक भूमि अपने बुजुर्ग खैराती पुत्र हंसी से विरासत में प्राप्त होना मानकर दावा पेश किया गया है, मुताविक मुस्लिम विधि के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति की धारणा का अभाव है। मुस्लिम खातेदार के जीतेजी उसकी सम्पत्ति को वारिसान चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं और ना ही वारिसान को कानूनी अधिकार होता है। डैथ बाई लॉ का सिद्धान्त लागू होता है। आफ्टर डैथ ही वारिसान प्रभावित होते हैं। जीतेजी उसकी सम्पत्ति को चेलेन्ज नहीं कर सकते हैं। इस तर्ज पर मुताविक मुस्लिम विधि के अनुसार उक्त दावा पर विधिका बार होने के कारण उक्त दावा प्राईमरी स्टेज पर ही काबिले खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि में सहखातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उनको आवश्यक पक्षकार दावा नहीं बनाया गया है। जो दावा हाजा में अति आवश्यक पक्षकार थे। इस [illegible] हाजा में आवश्यक पक्षकार का नुक्स होने के कारण दावा काबिले खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादी को कोई [illegible] एवं जन्म से हक व अधिकार मुस्लिम विधि के तहत प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त पिता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जीवन काल में आराजी के हिस्से का निर्धारण नहीं हो सकता है। अर्थात बंटवारा नहीं हो सकता, और ना ही संयुक्त खातेदारी की धारणा होती है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दावा में मुस्लिम विधि का बार होने के कारण पोषणीय नहीं है। काबिले खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा पूर्व में भी उक्त आराजीयात से सम्बन्धित दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया था, जिसको न्यायालय हाजा ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमा दिया गया। इस प्रकार वादी द्वारा पूर्व में वाद की सफलता नहीं मिलने के कारण अब जो वाद पेश किया है, जिस पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। इस कारण भी उक्त दावा काबिले खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को मुस्लिम विधि का बार होने के कारण अन्तर्गत ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावे।

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा दावा हाजा विधि अनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की संरक्षा के लिए पेश किया गया है, जो कानूनन सही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है। मुस्लिम विधि में भी निर्वसियति उत्तराधिकार के लिए कानून निर्धारित है। जिसमें संयुक्त खातेदारी भूमि बुजुर्ग खैराती को प्राप्त होना एवं वर्तमान में गलत तौर से प्रतिवादी व अन्य के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। मुस्लिम विधि में बक्शीश के जरिये भूमि अन्तरण का मुस्लिम को अधिकार है। हस्तगत में वाद में भी प्रतिवादी द्वारा 01.05.2007 को मुस्लिम विधि में प्रचलित कानून के अनुसार विवादित भूमि के हिस्सा 1/10 का अन्तरण वादी को किया है, दावा हाजा विधिक रूप से वर्जित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है, स्वीकार नहीं है। दावा हाजा केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है, घोषणा के लिए नहीं, कानूनन सहखातेदार दावा हाजा में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में [illegible] है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है। मुस्लिम [illegible] सहखातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एवं आपसी सहमति से अपनी [illegible] आराजी का बंटवारा करावाने के लिए अधिकार प्राप्त है, विवादित [illegible] मूदा खातेदारों ने अर्सा करीब 25 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा कर प्रतिवादी को एवं प्रतिवादी द्वारा मई 2007 में बक्शीश कर वादी के कब्जे में दिया है। जिसमें मुस्लिम विधि का कोई प्रतिबंध नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में दर्ज पूर्व वाद में उक्त आराजी का कोई विवाद नहीं था, पूर्व वाद घोषणा के लिए था, जिसके आधार व तथ्य हस्तगत वाद से भिन्न थे, हस्तगत वाद पर रेसज्यूडीकेट के प्रावधान कानूनन प्रभावी नहीं है, पूर्व वाद एवं हस्तगत वाद के पक्षकार, वादकारण, अनुतोष समान नहीं रहे हैं।

उज्रात मजीद में दर्ज किया है कि दावा हाजा वादी द्वारा बक्शीश में प्राप्त विवादित भूमि में वादी को प्राप्त विधिक अधिकारों के सरंक्षण के लिए पेश किया गया है, जो आदेश 07 नियम 11 के किसी भी प्रावधान के तहत खारिज किये जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं पेश किये जा रहे दस्तावेज इस स्तर पर संज्ञान में लिए जाने योग्य नहीं है, केवल वाद पत्र को ही पढा जाना है, प्रतिवादी की आपत्तियों के सम्बन्ध में तनकीयात कायम कर, उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर ही विधि अनुसार निर्णय दिया जाना सम्भव है, इसलिए भी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिले खारिज है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 व 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा दावा हाजा वादी द्वारा बक्शीश में प्राप्त विवादित भूमि में वादी को प्राप्त विधिक अधिकारों के सरंक्षण के लिए पेश किया गया है, जो आदेश 07 नियम 11 के किसी भी प्रावधान के तहत खारिज किये जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं पेश किये जा रहे दस्तावेज इस स्तर पर संज्ञान में लिए जाने योग्य नहीं है, केवल वाद पत्र को ही पढा जाना है, प्रतिवादी की आपत्तियों के सम्बन्ध में तनकीयात कायम कर, उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर ही विधि अनुसार निर्णय दिया जाना सम्भव है, इसलिए भी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिले खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 0.01 है0, 680 रकबा 0.01 है0, 734 रकबा 0.24 है0, 790/1018 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.29 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में हिस्सा 1/10 भाग का प्रतिवादी रसीद पुत्र खैराती जाति मुसलमान निवासी सा0देह खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा के अन्य खातेदार सहखातेदार काश्तकार हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2031 से 34 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 91,92,106,107,108,111,116,125,308,355,371,389,396,429 कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी खैराती पुत्र हंसी गुलाब रफीक पि0 कलुवा, अल्मदी बेवा समसू हि03/4, मुस्ताक नन्नू पि0 समसू हि01/4 सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 111 मिन रकबा 5 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.01 है0, साबिक खसरा नम्बर 429 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 680 रकबा 0.01 है0, साबिक खसरा नम्बर 371 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0, ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 दावा 26/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2019 उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा की सम्पूर्ण आदेशिका पेश की जिसके अनुसार वादीगण का दावा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है।

प्रतिवादी/ प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नजीर 2018(2)CJ(Civ.) (Raj.) **Shanu & Anr. Vs. Sultan Khan** पेज 991–994 पेश की है जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया है मुस्लिम विधि– दादा की सम्पत्ति में से अंश का दावा, विशिष्टतया जब पिता जीवित हो– मुस्लिम विधि के अनुसार वादीगणों को सम्पत्ति में वारिसी का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार सम्पत्ति की अवधारणा विदेशी है। मुस्लिम विधि– अंश का दावा –जब तक पिता जीवित है, बच्चे सम्पत्ति में कोई भी अधिकार ग्रहण नहीं करते हैं।

आर.आर.टी. 2017(2) पेज पेज 803–806 उनवानी हसन बनाम श्रीमती रूकसाना व अन्य में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 15.02.2017 को निर्णय पारित किया है जिसमें तय किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 7 नियम 11 (d)– विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र का खारिज करना– प्रार्थना–पत्र खारिज किया– जन्म से अधिकार के आधार पर पैत्रिक भूमि में हिस्से हेतु वाद पेश किया– मुस्लिम विधि में पैत्रिक सम्पत्ति की धारणा नहीं– वादीया " आर " पिता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जीवनकाल में कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं थी– वाद विधि द्वारा वर्जित था– निर्णित आदेश संवहनीय नहीं है व अपास्त किया तथा वाद पत्र खारिज किया।

Imp.Point- No concept of ancestral property in Muslim Law.

B. – Daughter is not entitled to any relief in the life time of the father. (निगरानी स्वीकार)

वादी ने यह दावा विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा का विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु निवेदन किया है तथा अंकित किया है कि दिनांक 01 मई 2007 को बक्शीश कर सुपुर्द की गई स्वंय की खातेदारी व हिस्से की कृषि भूमि उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। जिसके आधार पर वादी रिलीफ चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 280 रकबा 0.01 है0, 680 रकबा 0.01 है0, 734 रकबा 0.24 है0, 790/1018 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.29 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में हिस्सा 1/10 भाग का प्रतिवादी रसीद पुत्र खैराती जाति मुसलमान निवासी सा0देह खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा के अन्य खातेदार सहखातेदार काश्तकार है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीरों के आधार पर पिता की खातेदारी की आराजीयात में पिता के जीवित रहते हुए उसके बच्चों को कोई अधिकार मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं होता है। दिनांक 01 मई 2007 को बक्शीश कर सुपुर्द की गई स्वंय की खातेदारी व हिस्से की कृषि भूमि उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने मुकदमा नं0 दावा 26/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2019 उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा को प्रार्थना पत्र, ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। इस प्रकार उक्त वाद पत्र पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त भी पूर्णतः लागू होता है। क्योंकि पूर्व के बाद में एवं नवीन वाद में विवादित आराजीयात एवं विषय वस्तु समान ही हैं। उक्त प्रकरण में वादी मुस्लिम जाति का होने के कारण उस पर मुस्लिम कानून ही लागू होता है, इसलिए प्रार्थी/ प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है एवं वादी का वाद प्रार्थी/ प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के आधार पर खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मुकदमा नं0 93/2019 उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ....18.02.2021.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.02.21

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

27/1/2021 पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा उपस्थिति [illegible] पूर्वानुसार वास्ते [illegible] [illegible] प्रा० पत्र 07 R 11 दिनांक 1-2-2021 को पेश हो।

01/02/21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते जबाब व बहस दिनांक 08.02.2021 को पेश हो।

08/02/21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र 07 R 11 सपठित धारा 151 CPC पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.02.2021 को पेश हो।

18/02/21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र 07 R 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner